

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी ( अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ) जैसलमेर  
( पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ बिश्नोई आर 0ए0एस )

मुकदमा संख्या :- 13/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर		1. श्री फरसाराम राठी पुत्र जगनलाल राठी उम्र 38 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी हॉस्पिटल रोड. गांधी चौक पोकरण 2. मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम  
2006 नियम 2011 )

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. श्री फरसाराम राठी पुत्र जगनलाल राठी।
3. मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण।


--: निर्णय :-

दिनांक: 03.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.02.2018 को 03:00 पीएम पर मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण दुकान/संस्थान पर विक्रेता श्री फरसाराम राठी पुत्र जगनलाल राठी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर नहीं होना बताया। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में सुजी श्रीपारस ब्राण्ड खाद्य पदार्थ के रूप में विक्रय कर रहा था। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात सुजी श्रीपारस ब्राण्ड लगभग 500-500 ग्राम नमूने वास्ते लिये जिसके पेटे 120 रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुजी श्रीपारस ब्राण्ड के चार नमूने लिये प्रत्येक को प्लास्टिक बोतल पैक कर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं क्रमांक नम्बर एन-832 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने

  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
जैसलमेर

हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और जार को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-832 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-832 सुजी श्रीपारस ब्राण्ड लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूना भागो को अपने जाब्ले में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर श्री सुमनेश माथुर को दिनांक 27.02.2018 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न हैं। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 26.02.18 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/11288-91 दिनांक 11.04.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./234/Act/2018/253 दिनांक 28.03.2018 अनुसार उक्त नमूना अमानक पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2018/स्वी./एन-832/ के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता 1. श्री फरसाराम राठी पुत्र जगनलाल राठी उम्र 38 वर्ष जाति माहेश्वरी निवासी हॉस्पिटल रोड. गांधी चौक पोकरण 2. मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) ने अमानक सुजी श्रीपारस ब्राण्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा

  
अभिहित अधिकारी  
(मुख्य) जैसलमेर


एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी की ओर से श्री फरसाराण राठी दिनांक 03.05.2019 को न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र के क्रम में जबाब पेश कर निवेदन किया कि अनवान प्रकरण में मुल्जिम पर लगाये गये आरोप मुल्जिम स्वेच्छ से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वीकार करता है। यह कि सुजी श्रीपारस ब्राण्ड के जॉब हेतु दिये गये थे जो कि मिथ्याछाप पाया गया है। मेरी फर्म द्वारा कोई इस माल में रदोबदल नहीं किया गया था, बल्कि निर्माता पारस कम्पनी, जोधपुर मण्डी द्वारा विक्रय किये गये थे। उक्त माल सील बन्द होने के कारण उक्त माल फैल हो गया। मुल्जिम का प्रथम अपराध होने के कारण नरम रुख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण आज ही किए जाने की प्रार्थना है। भविष्य में हमारे द्वारा इस माल को ना तो खरीदा जायेगा तथा ना ही बेचा जायेगा व पूर्ण सावधानी रखी जावेगी तथा किसी प्रकार की लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र जुर्म स्वीकारोक्ति पेश कर अर्ज है कि नरम रुख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया जावे।


प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./234/Act/2018/253 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार सुजी श्रीपारस ब्राण्ड का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया है। वही अप्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने जबाब प्रार्थना पत्र में जुर्म स्वीकार किया गया है। अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार करने से प्रार्थी पक्ष को इस्तगाशा के तथ्यों को साबित करने अथवा साक्ष्य सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं रही है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी श्री फरसाराणराठी जो मेसर्स दीपिका प्रोविजन स्टोर किले के पास पोकरण जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर द्वारा मिथ्याछाप स्तर की खाद्य वस्तु सुजी श्रीपारस ब्राण्ड का भण्डारण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रुपये मात्र की शरित्त आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

  
निर्दिष्ट जिला कलक्टर

अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो

  
(भागीरथ बिश्नोई)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 03.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(भागीरथ बिश्नोई)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर